न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 12/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/12)

रामकरण पुत्र भगवानाराम जाति मेधवाल निवासी कामासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. गोरादेवी पत्नी हुणताराम जाति मेधवाल निवासी कामासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. भंवरी पत्नी श्योकरण जाति मेधवाल निवासी कामासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
3. स्टेट ऑफ राज .

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री करण सिंह तंवर – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री नरसाराम जाखड़ – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 03.11.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सरदारशहर के तस्दीक इन्तकाल संख्या 77 दिनांक 10.12.2021 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार सरदारशहर के द्वारा तस्दीक इन्तकाल संख्या 77 दिनांक 10.12.2021 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट तथा उसके बड़े भाई हुणताराम के नाम ग्राम कामासर तहसील सरदारशहर की रोही में गत खं. नं. 270 तादादी 12.10 बीधा, खं. नं. 336/131 तादादी 17.12 बीधा, खं. नं. 337/250 तादादी 11.10 बीधा, खं. नं. 339/273 तादादी 17.11 बीधा, कुल 58.13 बीधा भूमि थी। जिसका नया खसरा नंबर 158

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तादादी 4.4500 हेक्टर, खं. नं. 339 तादादी 3.1600 हेक्टर, खं. नं. 311 तादादी 2.7800 हेक्टर, खं. नं. 342 तादादी 4.4400 हेक्टर, कायम हुए। हुणतारम लाऔलाद फौत हो गया। हुणताराम के पश्चात कब्जा काश्त को लेकर विवाद हुआ तो अपीलान्ट ने एक घोषणात्मक वाद उपखण्ड अधिकारी सरादारशहर में पेश किया तथा वाद में दिनाक 16.12.19 को अंतरित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। उक्त आदेश के विरूद्व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने भूप्रबंध अधिकारी बीकानेर एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दिनांक 26.8.21 को इकतरफा आदेश दिनाक 16.12.19 की पालना स्थगित करवाने का आदेश प्राप्त किया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने राजस्व कर्मचारियो से साजबाज करके हुणताराम के 1/2 हिस्से की भूमि का दिनाक 6.9.21 को अपने नाम इंतकाल चढा लिया तथा दिनांक 10.9.21 को अपने नाम चढी भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 3 को जरिये बैयनामा हस्तान्तरण कर दिया, तथा दिनांक 10.12.21 को तहसीलदार सरदारशहर द्वारा बैयनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 3 के नाम इन्तकाल दर्ज कर दिया। उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वाद लम्बित रहते हुए तहसीलदार द्वारा disputed matter में इन्तकाल चढाने की कार्यवाही करना सर्वथा गलत है। उपखण्ड अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 16.12.19 के विरूद्व अपील हो ही नही सकती थीं भू प्रबंध अधिकारी का आदेश दिनांक 26.8.21 ab initio void होने से तहसीलदार को इन्तकाल चढाने का अधिकार प्राप्त नही था। अधीनस्थ न्यायालय का without jurisdiction तथा ab initio void होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील मन्जूर फरमाई जावें।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य खाता विभाजन हो गया था, दोनो के खाते अलग – अलग हो गये थे। खाता विभाजन के बाद सेलडीड की गई है। सेलडीड के आधार पर इन्तकाल दर्ज हुआ है। अपीलान्ट इन्तकाल से केसे प्रभावित है। अपीलान्ट ने सेलडीड को कही पर भी चंण्लेज नही किया है। सेलडीड को

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निरस्त करवाये बिना अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई राईट नही बनता है। इसके अलावा अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र भी पेश नही किया है। अपीलान्ट की अपील अनकम्पलीट है। अपील इसी स्तर पर खारिज की जावें। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRT 2016–17 (Supp) पृष्ठ 158, 2018 DNJ (Rev) पृष्ठ 189, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील तहसीलदार सरदारशहर के द्वारा दिनांक 10.12.2021 को विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण सं. 77 के विरूद्व दिनांक 25.02.2022 को प्रस्तुत की गई है जो कि प्रथम दृष्टया मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। परन्तु अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है जिसका कोई लिखित खण्डन या शपथ पत्र रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

रेस्पोडेन्ट की यह आपत्ति है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर के समक्ष पक्षकार नही थें तथा अपीलाधीन आदेश से पीड़ित पक्षकार नही है। इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु धारा 96 सी.पी.सी. का कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया है तथा तहसीलदार के आदेश के विरूद्व प्रथम अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही आती है। इस संदर्भ में पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरकरण सं. 77 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि खं नं. 158 व 339 की भूमि जो कि केवल रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज थी जिसका सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट अपीलाधीन नामान्तरकरण में पक्षकार नही है ना ही अपीलान्ट ने धारा 96 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत किया है इस प्रकार अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नही है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संधारण योग्य नही होने के आधार पर खारिज की जाती है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 03.11.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर